(152)

मानुनीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

श्री ... द्वारा आज दि० 30.5.07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

R 915-II/07

सूर्यप्रताप तनय द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा0 उम्र - 70वर्ष , पेशा - खेती निवासी - ग्राम फूल बजरंग सिंह , पो0आ0 फूल , थाना - मऊगंज , तहसील- हनुमना , जिला- रीवा । म0प्र0।

---- अपीलार्थी | आवेदक

बनाम

।1। - त्रिवेणी प्रसाद तनय रामकिशोर ब्रा0 उम्र - 70वर्ष ,

।2। - रामजियावन तनय रामकिशोर उम्र - 73वर्ष ,

।3। - केदार प्रसाद तनय रामकिशोर ब्रा0 - 75वर्ष ,

।4। - जितेन्द्र प्रसाद तनय रामानन्द ब्रा0उम्र- 35वर्ष ,

।5। - राजेन्द्र प्रसाद तनय रामानन्द ब्रा0 उम्र - 27वर्ष ,

सभी का पेशा - खेती , निवासी ग्राम फूल बंजरंग सिंह , पो0आ0 - फूल थाना मऊगंज , तहसील - हनुमना , जिला-रीवा । म0प्र0।

--रेस्पा0गण | अनावेदक

निगरानी

विरूद्ध आदेश पारित द्वारा अपर आयुक्त संभाग रीवा दिनांक - 14/5/07 प्र0क्र0-12 ...

अन्तर्गत धारा - 50 भू-राजस्व संहिता अधिनियम -1959ई0

मान्यवर,

।1। - यह कि ... द्वारा पारित ... आदेश

विधि विधान के ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 915–दो/07 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी एवं अभिभाषक श्री आई0पी0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2007 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण का संक्षेप सार है कि नायब तहसीलदार, हनुमना, जिला–रीवा द्वारा आवेदक को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 83/अ–70/2002–03 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 21.07.2005 को निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया है । प्रकरण में इस बात की भी साक्ष्य आई थी कि अनावेदकगण द्वारा इस भूमि पर सीमांकन वर्ष 1991 में कराया गया था और वर्ष 1997 में	

कराये गये सीमांकन की स्थिति वर्ष 1991 में नहीं थी और वास्तविक भौतिक अधिपत्य विवादित भूमि पर काफी देरीना है जो प्रकरण में आये साक्ष्य से स्वयं स्पष्ट है । उक्त विवादित भूमि पर अनावेदक का कब्जा कभी था ही नहीं, जिसे बेदखल करने या कब्जा वापसी का सवाल ही नहीं उठता । संहिता की धारा 250 की जो व्याख्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है वह बिल्कुल सही नहीं है । संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुर्नस्थापना के बारे में है बेदखली के बारे में नहीं है । अनावेदक के आवेदन पत्र में धारा 250 में कोई साक्ष्य उल्लेखित नहीं है । उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रकरण में समय सीमा प्रारंभ होना आवेदक को आवेदन में आधिपत्य होने का दिनांक, उसका प्रकार आदि बाते स्पष्ट करनी चाहिये और उसे सिद्ध भी करना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन के संबंध में जिस तरह अपना निष्कर्ष निकाला है वह सही नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी सीमांकन हुआ था और बाद का सीमांकन नहीं था । पटवारी प्रतिवेदन स्पष्ट है । अधीनस्थ न्यायालय को इस बात पर विचार किया जाना चाहिये था कि भूमिस्वामी की भूमि पर प्रतिवादी किस प्रकार कब्जे में आये और क्या आधार बैध एवं विधिक प्रक्रिया के भीतर है या कि कब्जा अवैध एवं अधिक्रमण है । आवेदक के कब्जा निस्तार है। आम के फलदार वृक्ष है, आबादी है । इस पर विचार नहीं किया गया और आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्तनीय योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 के वारिसान के अभिभाषक श्री पी0के0 तिवारी उपस्थित तथा शेष अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि अनावेदकगणों के द्वारा विवादित आराजी का सीमांकन कराया गया था, जिस सीमांकन की पुष्टि तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 54/अ–12/96–97 में पारित आदेश दिनांक 22.03.97 के द्वारा की गई थी, जिसमें आवेदक को विवादित आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जाना पाया गया था । आवेदक ने इस सीमांकन आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रस्तुत नहीं की । इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक सीमांकन आदेश से पूर्णरूप से संतुष्ट था। संहिता की धारा 250 के अंतर्गत सीमांकन किये जाने के पश्चात कोई भी व्याक्ति अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्ति को बेदखल किये जाने के लिये आवेदन–पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा ही आवेदन–पत्र अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था । अनावेदकगण का आवेदन–पत्र समय सीमा के अंदर था तथा तहसीलदार ने प्रकरण की विवेचना करने उपरांत आवेदक को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने भी की है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा

ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2007 से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से भी उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक प्रतीत नहीं होती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 14.05.2007 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य